उपभोक्ता ध्यान दें

मुद्रण निदेशालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सभी मुद्रण जॉबो का निष्पादन करता है। मांगकर्ता विभागों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित हैं।

1. मुद्रण जॉब की मांग प्राप्त होने पर, मांगकर्ता को उस मुद्रणालय का नाम तथा टेलीफोन नम्बर सूचित किया जाएगा जो इस जॉब का निष्पादन करेगा। (परिशिष्ट-I)
2. ज्योंही कार्य का आवंटन प्राप्त होता है, मुद्रणालय मांगकर्ता को जॉब का निष्पादन आरम्भ होने की संभावित तारीख या पेपर, जिल्दसाजी के स्टाइल आदि के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण सूचित करेगा। (अनुबंध-I)
3. यदि जॉब इस प्रकृति का है जिसका निष्पादन भारत सरकार के मुद्रणालय नहीं कर सकते तो मुद्रण निदेशालय वैकल्पिक विर्निदेश सुझाएगा।
4. मुद्रणालय संबंधित विभाग से वास्तविक लागत ही चार्ज करते हैं।
5. विभागों/मंत्रालयों को जॉब तेजी से और कम कीमत में निष्पादित करने में मुद्रणालयों को समर्थ बनाने के लिए कम्पयूटर रेडी कापी (सी आर सी) प्रदान करने की सलाह दी गई है।
6. भारत सरकार के अधिकांश मुद्रणालय ऑफसेट प्रिंटिंग से लैस हैं और सभी प्रकार के मुद्रण जॉब करने में सक्षम हैं।
7. ज्योंही कार्य पूरा हो जाएगा मांगकर्ता को मुद्रित प्रतियां लेने के लिए सूचित कर दिया जाएगा।
8. पुस्तकों एवं प्रकाशनों के मुद्रण के अलावा मुद्रण निदेशालय भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों को लेखनसामग्री की कुछ मदों जैसे फाइल कवर लैटर हैड आदि सहित सभी प्रकार के फार्मों के मुद्रण एवं सप्लाई की भी व्यवस्था करता है। बहरहाल, वर्तमान में कम्प्यूटर स्टेशनरी के मुद्रण की कोई व्यवस्था नहीं है।
9. सभी मानक फार्मों का भण्डारण एवं वितरण भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता द्वारा किया जाता है। विशेष और अन्य फार्म संबंधित विभाग/मंत्रालय की विशिष्ट मांग पर मुद्रित किए जाते हैं।
10. ऐसी मदें जिनके मुद्रण की व्यवस्था मुद्रण निदेशालय द्वारा नहीं की जा सकती, संबंधित विभाग/मंत्रालय को प्राइवेट मुद्रण की अनुमति शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुमोदन से प्रदान की जाती है। बहरहाल, कोई भी विभाग/मंत्रालय मुद्रण निदेशालय (शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय) से एडवान्स में अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना प्राइवेट मुद्रण नहीं करा सकता।

राजपत्र अधिसूचना

विभिन्न भारत सरकार के मुद्रणालय राजपत्र के विभिन्न खण्डों (परिशिष्ट-2 के अनुसार) के मुद्रण के लिए चिन्हित है। सभी असाधारण राजपत्र भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली में मुद्रित किए जाते हैं।

सामान्यत: राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति मुद्रणालय द्वारा मांगकर्ता को प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त प्रतियां, यदि विभागों/मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित होती हैं, तो उनकी व्यवस्था की जाती है।

कुछ भागों के अतिरिक्त, सभी राजपत्र अधिसूचनाएं चिन्हित मुद्रणालयों द्वारा भारत सरकार के प्रकाशन प्राधिकरण, प्रकाशन विभाग के पक्ष में मुद्रण के लिए सीधे प्राप्त की जाती हैं।

भारत सरकार के मुद्रणालय राजपत्र अधिसूचनाओं के मुद्रण को अति अग्रता प्रदान करने के पूर्ण प्रयास करते हैं।

मांगकर्ता के कर्तव्य

मांगकर्ता को मांगपत्र-साफ और सही तीन प्रतियों में भरना चाहिए और संबंधित अनुदेशों के साथ समस्त सामग्री पूर्ण और अन्तिम रूप से प्रदान करनी चाहिए ताकि चूक रहित और सही निष्पादन हो सके।

जॉब पूरा करने पर बिल विभाग/मंत्रालय को भुगतान करने के लिए भेजा जाएगा। कभी-कभी बिल दो भागों में दिए जाते हैं। एक अनुपूरक और दूसरा अंतिम बिल। विभागों/मंत्रालयों को मुद्रणालय से अनुपूरक और अंतिम बिल प्राप्त होते ही तुरन्त भुगतान करना चाहिए।